रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072026-274608
CG-DL-E-20072026-274608

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948
No. 451] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियामक सैंडबॉक्स) विनियम, 2026

फा. सं. पीएफआरडीए-16/01/01/0001/2026 - आरईजी-सीआरए- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खंड (ब) के साथ पठित उसकी उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं, नामत: -

अध्याय I - प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियामक सैंडबॉक्स) विनियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये, शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्य

(1) इन विनियमों का उद्देश्य है :

(क) प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं का व्यवस्थित विकास और अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पेंशन क्षेत्र में उत्तरदायित्वपूर्ण नवाचार; और

(ख) नवाचारी समाधानों के परीक्षण हेतु एक विनियामक सैंडबॉक्स की स्थापना और, जहां आवश्यक हो, ऐसे परीक्षण हेतु सीमित और समयबद्ध विनियामक छूट प्रदान करना।

3. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है;

(ख) "आवेदक" से अभिप्रेत है :

(i) अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत प्राधिकरण के साथ पंजीकृत मध्यवर्ती अथवा विनियमों के अंतर्गत प्राधिकरण के साथ सूचीबद्ध संस्था;

(ii) भारत में लागू कानूनों के अंतर्गत निगमित या पंजीकृत किसी भी संस्था के साथ मिलकर आवेदन करने वाली मध्यवर्ती अथवा प्राधिकरण के साथ सूचीबद्ध संस्था; या

(iii) सैंडबॉक्स कार्यढांचे के अंतर्गत आवेदन करने हेतु अनुमत कोई अन्य संस्था

(ग) प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "विनियामक सैंडबॉक्स" का अभिप्राय एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी परीक्षण समाधान का परीक्षण करने हेतु प्राधिकरण द्वारा समर्थित और प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अध्यधीन एक नियंत्रित परिवेश है;

(ङ.) "सैंडबॉक्स संस्था" का अभिप्राय उस आवेदक से है जिसका आवेदन प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है;

(च) "सैंडबॉक्स कार्यढांचा" का अभिप्राय इन विनियमों के कार्यान्वयन हेतु प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देश, परिपत्र या निर्देशों से है।

(छ) "परीक्षण समाधान" का अभिप्राय विनियामक सैंडबॉक्स के अंतर्गत परीक्षण किए जाने हेतु प्रस्तावित उत्पादों, सेवाओं, व्यवसाय मॉडल, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी अथवा संवितरण तंत्र आदि से है।

(ज) "उपयोगकर्ता" का अभिप्राय संसूचित सहमति प्रदान करने के पश्चात, परीक्षण समाधान के परीक्षण में, स्वेच्छा से भाग लेने वाले अभिदाता अथवा संभावित अभिदाता से है।

अध्याय II - विनियामक सैंडबॉक्स

4. पात्रता और आवेदन

(1) विनियामक सैंडबॉक्स में सहभागिता करने के इच्छुक आवेदक को सैंडबॉक्स कार्यढांचे के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप और रीति में आवेदन पत्र जमा करना होगा।

(2) पात्रता मानदंड, मूल्यांकन मानक, आवेदन प्रक्रिया और सहायक दस्तावेजों को सैंडबॉक्स कार्यढांचे के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

5. अनुमोदन और परीक्षण

(1) प्राधिकरण इन विनियमों के अंतर्गत प्राप्त किसी भी आवेदन को अनुमोदित अथवा अस्वीकार कर सकता है।

(2) प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित परीक्षण समाधान से संबंधित कार्यक्षेत्र, अवधि, परीक्षण मापदंडों, उपयोगकर्ता सीमाओं, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं और अन्य शर्तों को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3) प्राधिकरण सैंडबॉक्स कार्यढांचे के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट रीति में विनियामक सैंडबॉक्स का परिचालन कर सकता है।

6. विनियामक छूट

(1) आवेदक, परीक्षण समाधान के परीक्षण हेतु अपेक्षित सीमा तक, प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के अंतर्गत जारी किसी भी विनियम, दिशानिर्देश, परिपत्र, निर्देश या अनुदेश की प्रयोज्यता से छूट या शिथिलता की मांग कर सकता है। प्राधिकरण, विनियामक सैंडबॉक्स के अंतर्गत परीक्षण की सुविधा हेतु, उसके द्वारा निर्धारित किए जाने वाली ऐसी शर्त के अध्यधीन और ऐसी अवधि हेतु इस प्रकार की छूट अथवा शिथिलता प्रदान कर सकता है।

परन्तु यह कि किसी भी विस्तार सहित परीक्षण की कुल अवधि, प्रथम अनुमोदन की तारीख से बारह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्रदान की गई किसी भी प्रकार की छूट आवेदक द्वारा सैंडबॉक्स कार्यढांचे के अनुसार प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित की जा सकने वाली ऐसी शर्तों, जिसमें उसकी अवधि भी शामिल है, की संतोषजनक पूर्ति के अध्यधीन होगी।

परन्तु यह कि, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013,के प्रावधानों, अपने अभिदाता को जानें (केवाईसी), धन शोधन निवारण (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण के विरूद्ध (सीएफटी) संबंधी आवश्यकताओं, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन या किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों से किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

(3) प्रदत्त की गई किसी भी प्रकार छूट अथवा शिथिलता प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित परीक्षण की अवधि और कार्यक्षेत्र तक ही सीमित होगी और किसी अन्य आवेदक अथवा उसी आवेदक के संबंध में किसी प्रकार से भविष्य हेतु दृष्टांत नहीं होगी।

(4) ऐसी किसी भी प्रकार की अपेक्षा, जिसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से छूट या शिथिलता प्रदान नहीं की गई है, वह जारी रहेगी।

7. उत्तरदायित्व और देयताएं

(1) प्रत्येक सैंडबॉक्स संस्था परीक्षण अवधि के दौरान अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक सैंडबॉक्स संस्था द्वारा इन विनियमों, सैंडबॉक्स कार्यढांचे और अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

(2) सैंडबॉक्स संस्था परीक्षण समाधान के परीक्षण से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार के लोप और चूक तथा परिणाम, जिसमें किसी भी सम्बद्ध संस्था के लोप और चूक शामिल हैं, के लिए उत्तरदायी और जवाबदेह होगी। जहाँ परीक्षण, किसी अन्य संस्था के सहयोग से प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध किसी संस्था या किसी मध्यवर्ती द्वारा किया जाता है, वहाँ ऐसा मध्यवर्ती या सूचीबद्ध संस्था अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन और संबद्ध संस्था के आचरण के लिए उत्तरदायी होगी

(3) सैंडबॉक्स संस्था अनुमोदन की शर्तों के उल्लंघन, अनुमोदित कार्यक्षेत्र से परे परीक्षण अथवा संसूचित सहमति के बिना, परीक्षण से उपयोगकर्ता को होने वाले किसी भी नुकसान अथवा क्षति के लिए उत्तरदायी होगी।

(4) विनियामक सैंडबॉक्स में सैंडबॉक्स संस्था की सहभागिता को प्राधिकरण द्वारा परीक्षण समाधान के अनुमोदन, समर्थन या प्रमाणन के रूप में नहीं माना जाएगा। प्राधिकरण परीक्षण समाधान के परीक्षण से होने वाले किसी भी लोप, चूक या परिणामों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

(5) सैंडबॉक्स संस्था को परीक्षण समाधान का परीक्षण करने से पूर्व अभिदाता के नियोक्ता सहित, जहां कहीं भी लागू हो, प्रत्येक उपयोगकर्ता से संसूचित सहमति प्राप्त करनी होगी।

8. निगरानी, निरीक्षण और निरसन

(1) प्राधिकरण किसी भी समय सैंडबॉक्स कार्यढांचे में यथानिर्धारित आवधिक रिपोर्टिंग की आवश्यकता के अलावा किसी भी सैंडबॉक्स संस्था की निगरानी, निरीक्षण, लेखापरीक्षा, जांच कर सकता है अथवा जानकारी मांग सकता है।

(2) प्राधिकरण, इस बात से संतुष्ट होने पर, कि सैंडबॉक्स संस्था की गतिविधियां इन विनियमों, सैंडबॉक्स कार्यढाँचे या प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देश के अनुरूप नहीं हैं तो वह इन विनियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुमोदन को किसी भी समय निलंबित, रद्द या संशोधित कर सकता है।

9. निकास और परीक्षण के पश्चात की प्रकिया

(1) परीक्षण पूरा होने, बंद होने, निलंबन, निरस्तीकरण या समाप्ति पर, सैंडबॉक्स संस्था प्राधिकरण द्वारा यथानिर्दिष्ट निकासी आवश्यकताओं का अनुपालन करेगी।

(2) विनियामक सैंडबॉक्स से इतर किसी परीक्षण समाधान का परिनियोजन, लागू कानूनों और प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अनुमोदनों के अनुपालन के अध्यधीन होगा।

अध्याय III - विविध

10. अंतर-विनियामक सैंडबॉक्स

प्राधिकरण सहित एक से अधिक वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के विनियामक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाला परीक्षण समाधान, प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र, दिशानिर्देश अथवा अनुदेशों के अनुरूप होगा।

11. शक्तियों का संरक्षण

इन विनियमों में अंतर्निहित किसी भी बात के बावजूद, प्राधिकरण के पास पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के अंतर्गत उसमें निहित सभी प्रकार की शक्तियां, जिसमें प्राधिकरण द्वारा किसी सैंडबॉक्स संस्था के विरूद्ध उचित समझे जाने वाली कार्रवाई करने की शक्ति भी शामिल है, विद्यमान है। इन विनियमों के अंतर्गत प्रदान की गई की किसी भी प्रकार की छूट, शिथिलता अथवा या रियायत को इन शक्तियों को सीमित करने, अस्वीकार करने अथवा अन्यथा कम करने वाला नहीं समझा जाएगा।

12. **कार्यढांचा, दिशानिर्देश और अनुदेश जारी करने की शक्ति**

प्राधिकरण समय-समय पर विनियामक सैंडबॉक्स के परिचालन संबंधी विवरणों को प्रदान करने वाले परिपत्र, दिशानिर्देश और अनुदेश जारी कर सकता है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, प्रारूप, परीक्षण चरण और समयसीमा, सामूहिक विषय और रीतियाँ, निगरानी और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं और ऐसे अन्य मामले शामिल हैं, जो इन विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक हों।

13. **स्पष्टीकरण देने और कठिनाईयों के समापन की शक्ति**

प्राधिकरण इन विनियमों के प्रावधानों की व्याख्या करने या इन विनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी कठिनाई को दूर करने हेतु उचित समझे जाने वाले स्पष्टीकरण, निर्देश अथवा अनुदेश जारी कर सकता है।

शिवसुब्रमाणियन रमण, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./220/2026-27]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2026

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (REGULATORY SANDBOX) REGULATIONS, 2026

F. No. PFRDA-16/01/01/0001/2026-REG-CRA.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clause (w) of sub-section (2) thereof, of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority, hereby makes the following regulations, namely: -

CHAPTER I - PRELIMINARY

1. Short Title and Commencement

(1) These Regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Regulatory Sandbox) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objective

(1) The objective of these Regulations is to facilitate:

(a) responsible innovation in the pension sector while ensuring the protection of subscribers' interest and the orderly development of pension schemes regulated by the Authority; and

(b) the establishment of a Regulatory Sandbox for testing innovative solutions and, where

necessary, granting limited and time-bound regulatory relaxations for such testing.

3. Definitions

(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013;

(b) "Applicant" means:

(i) An intermediary registered with the Authority under Section 27 of the Act or an entity

empanelled with the Authority under the Regulations;

(ii) An intermediary or an entity empanelled with the Authority applying in association with any entity incorporated or registered under applicable laws in India; or

(iii) Any other entity permitted to apply under the Sandbox Framework.

(c) "Authority" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority established under subsection (1) of Section 3 of the Act;

(d) "Regulatory Sandbox" means a controlled environment enabled by the Authority for testing a Test Solution for a specified period and subject to such conditions as may be specified by the Authority;

(e) "Sandbox Entity" means an applicant whose application has been approved by the Authority under these regulations;

(f) "Sandbox Framework" means the guidelines, circulars or directions issued by the Authority for implementation of these Regulations.

(g) "Test Solution" shall mean the proposed products, services, business models, processes,

technologies or delivery mechanism intended to be tested under the Regulatory Sandbox;

(h) "User" means a subscriber or prospective subscriber who voluntarily participates in the testing of a Test Solution after providing informed consent.

CHAPTER II - REGULATORY SANDBOX

4. Eligibility and Application

(1) An applicant desirous to participate in the Regulatory Sandbox shall submit an application in the form and manner as laid down in Sandbox Framework.

(2) The eligibility criteria, evaluation parameters, application procedure and supporting documents shall be such as may be specified in the Sandbox Framework.

5. Approval and Testing

(1) The Authority may approve or reject any application received under these regulations.

(2) The Authority may specify the scope, duration, testing parameters, user limits, reporting requirements and other conditions applicable to an approved test solution.

(3) The Authority may operationalise the Regulatory Sandbox in such manner as may be specified in the Sandbox Framework.

6. Regulatory Relaxations

(1) An applicant may seek exemption or relaxation from the applicability of any regulation, guideline, circular, direction or instruction issued by the Authority under the Act, to the extent required for testing the Test Solution. The Authority may, for facilitating testing under the Regulatory Sandbox, grant such exemption or relaxation subject to such condition and for such period as it may determine.

Provided that the aggregate period of testing, including any extension, shall not exceed twelve months from the date of first approval.

(2) Any relaxation granted under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions, including the period thereof, as may be laid down by the Authority and in accordance with the Sandbox framework.

Provided that no relaxation shall be granted from the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML) and Counter Financing of Terrorism (CFT) requirements, Digital Personal Data Protection Act, 2023, cyber security, fraud prevention, foreign exchange management or any other applicable law.

(3) Any exemption or relaxation granted shall be limited to the duration and scope of testing approved by the Authority and shall not constitute as a precedent in respect of the same applicant or any other applicant.

(4) Any requirement for which exemption or relaxation is not expressly granted by the Authority shall continue to apply.

7. Obligations and Liabilities

(1) Every sandbox entity shall ensure protection of subscribers' interest throughout the testing period. Every Sandbox Entity shall comply with these regulations, the Sandbox Framework and the conditions of approval.

(2) The sandbox entity shall remain responsible and liable for all acts, omissions and consequences arising from the testing of the Test solution, including acts or omissions of any associated entity. Where testing is undertaken by an intermediary or an entity empanelled with the Authority, in association with any other entity, such intermediary or empanelled entity shall remain responsible for compliance with the conditions of approval and for the conduct of the associated entity.

(3) The sandbox entity shall be liable for any loss or damage caused to a user arising from breach of the conditions of approval, testing beyond the approved scope or testing without informed consent.

(4) The participation of the sandbox entity in the Regulatory Sandbox shall not be construed as approval, endorsement or certification of the Test solution by the Authority. The Authority shall not be liable for any acts, omissions or consequences arising from the testing of the Test solution.

(5) The sandbox entity shall obtain informed consent from every user and, wherever applicable, also from the employer of the user prior to testing the Test Solution.

8. Monitoring, Inspection and Revocation

(1) The Authority may at any time monitor, inspect, audit, investigate or seek information from any sandbox entity in addition to the requirement of periodic reporting as laid down in Sandbox framework.

(2) The Authority may at any time suspend, revoke or modify any approval granted under these Regulations if it is satisfied that the activities of the Sandbox entity are not in consonance with these regulations, Sandbox Framework or any guidelines issued by the Authority.

9. Exit and Post-Testing

(1) Upon completion, discontinuation, suspension, revocation or termination of testing, the sandbox entity shall comply with the exit requirements as may be specified by the Authority.

(2) Deployment of a Test solution beyond the Regulatory Sandbox shall be subject to compliance with applicable laws and such approvals as may be given by the Authority.

CHAPTER III – MISCELLANEOUS

10. Inter-Regulatory Sandbox.

A Test Solution falling within the regulatory ambit of more than one financial sector Regulator, including the Authority, shall be in accordance with the circular, guidelines or directions issued by the Authority.

11. Savings of Powers.

Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Authority reserves all powers vested in it under the PFRDA Act, 2013, including the power to take such action against a Sandbox Entity as it deems fit. No relaxation, exemption, or concession granted under these Regulations shall be construed to limit, waive, or otherwise derogate from such powers.

12. Power to Issue Framework, Guidelines and Directions

The Authority may issue circulars, guidelines and directions, as necessary from time to time, providing the operational details of the Regulatory Sandbox including the application process, formats, testing stages and timelines, cohort themes and modalities, monitoring and reporting requirements, and such other matters as may be required for effective implementation of these Regulations.

13. Power to Clarify and Remove Difficulties

The Authority may issue clarifications, directions or instructions as may be deemed appropriate to interpret the provisions of these regulations or to remove any difficulties in the implementation of these Regulations.

SIVASUBRAMANIAN RAMANN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./220/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.20 15:33:20 +05'30'